न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 14 / 2024
दायर दिनांक : 09 / 05 / 2024
निर्णय दिनांक : 04 / 12 / 2024 **उनवान**

1. रामेश्वर पिता देवीलाल ढोली निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता जोधा अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
2. नाथू पिता मोती अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
3. बंशीलाल पिता मोती अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
4. मांगु पिता मोती अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
   1. मदनलाल पिता स्व0 मांगु अहीर अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
   2. प्रेमीबाई पुत्री स्व0 मांगु पत्नि सीताराम अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील कपासन
   3. बदामी बाई पत्नि स्व0 मांगु अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
5. माधुलाल पिता मोती अहीर निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
6. सोहनलाल पिता शंकरलाल कुम्हार निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर
7. मांगी बाई पुत्री शंकरलाल पत्नि सुरेश कुम्हार निवासी रामाखेडा हाल मु0 धुलखेडा तहसील रेलमगरा
8. पारसबाई पत्नि नारायण कुम्हार निवासी रामाखेडा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तंगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम रामाखेडा प0 ह0 बबराणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 381 की आराजी न0 1718 रकबा 0.55 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी [illegible] कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर न[illegible] क[illegible]कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर